



हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ ग्रुप-सी काडर के लिये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ (डिप्टी सुपरटिंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और (जूनियर लेक्चर असिस्टेंट) ग्रुप-सी काडर के लिये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बंदी

- यह नीति राजकीय कॉलेजों में नियमिती आधार पर कार्यरत कॉलेज काडर ग्रुप- सी/मनिस्ट्रीयल स्टाफ, जहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 80 या उससे अधिक हो, पर लागू होगी।
- उच्चतर शिक्षा वभाग के अनुसार डिप्टी सुपरटिंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की विभिन्न स्थानों पर नषिपक्ष एवं पारदर्शी ढंग से तैनाती सुनिश्चिती करने तथा उनमें कार्य संतुष्टि बढाने व उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से इस नीति को तैयार किया गया है।
- इस नीति के अंतरगत सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार कए जाएंगे। हालाँकि, पदोन्नति, सीधी भरती और लोक हति में आवश्यकतानुसार पदों की भरती करने हेतु स्थानांतरण/नयुक्ति सिकषम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के बाद या वभाग की अनविश्यता के अनुसार करयान्वति कए जाएंगे।
- इस नीति के तहत पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को किसी भी सरकारी कॉलेज या राज्य में कहीं भी या लोक हति में स्थानांतरति किया जाएगा।
- इस नीति के तहत स्थानांतरण/ नयुक्ति के लिये आयु और कम्पोजिट स्कोर को भी ध्यान में रखा जाएगा। रक्ति के लिये आवंटन का नरिणय नरिधारति 80 अंकों में से कर्मचारी द्वारा अरजति कुल संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम अंक अरजति करने वाला कर्मचारी किसी विशेष रक्ति के खिलाफ स्थानांतरण का हकदार होगा।
- किसी रक्ति के समकष कर्मचारी के दावे को तय करने के लिये आयु प्रमुख कारक होगी, क्योंकि इसमें कुल 80 अंकों में से 60 अंकों की वरीयता होगी। हालाँकि, विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा अधिकतम 20 अंकों के विशेष लाभ का दावा किया जा सकता है।
- यदि पति और पत्नी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी वभाग, बोर्ड, नगिम में कार्यरत हैं, तो उस स्थिति में दोनों में से केवल एक ही पाँच अंकों के लाभ का दावा कर सकता है और उसके लिये उसे स्वयं घोषणापत्र (डेक्लारेशन) जमा करवाना होगा कि उसके पति या पत्नी ने इस श्रेणी (कपल केस) का लाभ नहीं लिया है। यह स्वयं घोषणापत्र ड्राइव में भाग लेते समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।